राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

पशुधन प्रक्षेत्र हेतु आहार उत्पादन के लिए कच्चे मालों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना प्रकाशन सं0–150

दिनांक–24–05–2017

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी

पशुधन प्रक्षेत्र हेतु निविदा प्रपत्र

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी वर्ष 2017–18 के लिय कच्चे मालों हेतु दिनांक 01–07–2017 से दिनांक 31–10–2017 हेतु आपूर्ति से सम्बन्धित इस निविदा प्रपत्र में निम्नलिखित 05 भाग हैः–

भाग–1 निविदा सूचना सं0–150

भाग–2 तकनीकी निविदा

भाग–3 निविदा के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

भाग–4 वित्तीय निविदा

भाग–5 कच्चे मालों के मानक

निविदा का विवरण

- निविदा प्राप्त करने की तिथि/समयः–17–06–2017 से 23–06–2017 शायं 05.00 बजे तक
- निविदा पेटिका में निविदा डालने की तिथि/समयः–24–06–2017 अपरान्ह 01.00 बजे तक
- निविदा खोलने की तिथि/समयः–24–06–2017 02.00 बजे
- निविदा खोलने का स्थानः–कक्ष अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गजंरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

कार्यालय अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र

चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

<u>कार्यालय अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी</u>

<u>निविदा सूचना संख्या–150 दिनांक 24–05–2017</u>

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी पर जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 तक निर्मिताओ/आपूर्तिकर्ताओं से प्रक्षेत्र पर पशुआहार के उत्पादन मे प्रयोग होने वाले विभिन्न सामिग्रियों की आपूर्ति हेतु एफ0ओ0आर0 डेस्टीनेशन के आधार पर अलग–अलग सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा दिनांक 24–06–2017 को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी के पेटिका में डाली जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे निविदा अधीक्षक–राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया कार्यालय कक्ष मे खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं शर्ते निविदा फार्म मे अंकित है जो कि विभागीय बेबसाइट http://animalhusb.up.nic.in पर उपलब्ध है निविदा प्रपत्र कार्य दिवस दिनांक 17–06–2017 से 23–06–2017 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में शुल्क रू0 500.00 एवं इस पर लगने वाले देय व्यापार कर (12 प्रतिशत) को अदा करके प्राप्त किये जा सकते है। अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को अधिकार होगा कि कोई अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त कर दे। निविदा की दरों की अवधि अक्टूबर 2017 के बाद अपरिहार्य कारणों में आगे बढ़ाई जा सकती है।

(डा0एम0पी0सिंह)
अधीक्षक,
राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र,
चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी

तकनीकी निविदा प्रपत्र

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा प्रक्षेत्र हेतु वर्ष 2017–18 के माह जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 की अवधि हेतु कच्चे मालों कें क्रय के सम्बन्ध में प्रकाशित निविदा सूचना सं–150 दिनांक 24–05–2017 सम्बन्धी तकनीकी निविदा प्रपत्र का विवरणः–

1.	निविदादाता फर्म का नामः–	
2.	निविदादाता / फर्म का पता मोबाईल नं0 ई0मेलः–	
3.	वैट(VAT) सं0 / तिथि वैधता दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
4.	आयकर स्थायी संख्या–(PAN) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	हैसियत प्रमाण पत्र अथवा बैंक क्रेडिट लिमिट का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें)	
6.	धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) विवरण (एफ0डी0आर0 मूल रूप में संलग्न करें)	
7.	फर्म / निविदादाता का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र किसी राजकीय विभाग एवं अन्य संस्था में काली सूची मे नही डाली गयी है, (संलग्न करें)	
8.	निविदा प्रपत्र क्रय फीस की रसीद (संलग्न करें)	

घोषणा

मैने / हमने क्रय प्रस्ताव प्रपत्र (निविदादाताओ के लिए आवश्यक निर्देश) के लिय निर्देश को भलीभॉति पढ़ / समझ लिया है तथा उनका अनुपालन करने हेतु बचनबद्ध हूॅ / है। मै अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा निर्धारित समय सीमा में आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में पूर्णतया समर्थ हूॅ / है। कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब या असफल होने पर मेरी / हमारी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में दी गयी सूचनायें मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में सम्बन्धित कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। क्रय प्रस्ताव में गठित कमेटी का निर्णय मान्य होगा। क्रय प्रस्ताव की शर्ते स्वीकार है। उपरोक्त के विपरित यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरी / हमारी निविदा निरस्त कर दी जाये। इसमें मुझे / हमें कोई आपत्ति नही होगी।

स्थानः.. निविदादाता अधिकारी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांकः.. प्रतिष्ठान की मुॅहर

अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी

वित्तीय निविदा फार्म

अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा दैनिक समाचार पत्र राज्य संस्करण में प्रकाशित निविदा सूचना प्रकाशन सूचना सं0–150 दिनांक 24–05–2017 के क्रम में निम्न विवरण के अनुसार माह जुलाई 2017 से 30 अक्टूबर 2017 तक की अवधि के लिये आपूर्ति हेतु एफ0ओ0आर0 दरें समस्त करों सहित प्रस्तावित हैः–

क्र0 सं0	कच्चे माल का नाम	क्रय की जाने वाली अनुमानित मात्रा (कुन्टल में)	दर प्रति कुन्टल
1.	मक्का (लाल/पीली)	224	
2.	डी0 मूँगफली खली	136	
3.	डी0 सरसों खली	140	
4.	सरसों खली	140	
5.	डी0सोयाबीन खली	40	
6.	गेहूँ का चोकर (मोटा फलोर मिल)	104	
7.	राइस पालिश	228	
8.	डी0आर0पी0	385	
9.	डी0सी0पी0	8.25	
10.	मिनरल मिक्चर	16	
11.	नमक	30	

उपरोक्त कच्चे मालों की आपूर्ति राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी की आवश्यकता हेतु निविदा शर्तों के अनुसार किये जाने के लिये सहमत हूँ। आपूर्ति आवश्यकतानुसार समय–समय पर क्रय आदेश के अनुसार की जायेगी।

हस्ताक्षर...

निविदादाता का नाम व पता...................................

...

फर्म का मुहर..

<u>राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी हेतु निविदा शर्ते</u>

अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा प्रक्षेत्र पर पशु–पक्षी आहारों के उत्पादन हेतु वर्ष 2017–18 की माह जूलाई 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि के लिय कच्चे मालों जैसेः–मक्का, तेलरहित राइस पालिश, तेलरहित मूँगफली खली, तेलरहित सरसों खाली, सरसों खली, गेहूँ का चोकर, राइस पालिश आदि की आपूर्ति हेतु निविदायें आंमत्रित की गयी है जिनका विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है। निविदा शर्त निम्नलिखित हैः–

सामान्यः–

1. निविदा प्रपत्र दो भाग में प्रस्तुत किये गये है। (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में सीलबन्द किया जायेगा तकनीकी निविदा के लिफाफे पर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे पर वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना होगा। दोनों लिफाफे को एक तीसरे लिफाफें में रखा जायेगा, जिस पर अंकित किया जायेगा कि "प्रक्षेत्र हेतु पशु आहारों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल व सामिग्री हेतु निविदा दिनांक 24–05–2017
2. निविदा प्रपत्र के साथ कच्चे मालों के लिय रू0 50000.00 (पचास हजाार मात्र) अनेरस्ट मनी एफ0डी0आर0 के रूप में जो ''**<u>मुख्य तकनीकी अधिकारी राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी</u>**'' के नाम प्राधि हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अरनेस्ट मनी चक अथवा नकद रूप में स्वीकार नही की जायेगी। बिना अरर्नेस्ट मनी के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
3. निविदादाता का वैट पंजीकरण दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
4. निविदा दाता को विगत दो वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करना होगा।
5. निविदा दाता के नाम कम से कम रू0 1500000.00 (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) का हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अथवा प्रन्द्रह लाख की बैंक क्रेडिट लिमिट का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
6. दरें निविदा प्रपत्र के अनुसार विभिन्न सामग्रियों हेतु जिस अवधि के लिय निविदायें आमंत्रित की गयी है, उस अवधि की अन्तिम तिथि तक बैध होगी। अपरिहार्य स्थितियों मं इस अवधि का बढ़ाया भी जा सकता है।
7. कच्चे मालों की दरें सभी टैक्सों सहित अर्थात् (टैक्स पेड) प्रक्षेत्र पहॅुचौता (एफ0ओ0आर) अंकित की जानी होगी।
8. कच्चे मालों की आपूर्ति एफ0ओ0आर0 फैक्ट्री ग्रास वजन उपयोगी पुराने बोरो में प्रक्षेत्र पर प्राप्त की जायेगी। पुराने बोरों की कीमत देय नही होगी और न ही पुराने बोरें वापस किये जायेगे।
9. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी उसमें सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
10. टेन्डर खोलने के बाद दरों का निगोसियेशन किसी फर्म से नही किया जायेगा आवश्यकता पडने पर केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से निगोसियेशन किया जा सकता हैं।
11. प्रक्षेत्र के लिए आवश्यक नही है कि वह न्यूनतम दरों पर क्रय स्वीकार करें। दरों पर निर्णय लेते समय समिति पूर्व अनुभव, गुणवत्ता, मेक अथवा बाजार भाव आदि को संज्ञान में ले सकती है।
12. कार्यहित के दृष्टिगत क्रय समिति के संस्तुति के क्रम में न्यूनतम दर दाता फर्म के अतिरिक्त एक से अधिक फर्मो को उनसे न्यूनतम दर पर सहमति प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

यदि एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक ही दर स्वीकृत होता है तो क्रय की जाने वाली सामग्री को बाराबर संख्या में आवंटित कर दिया जायेगा।एक के द्वारा मना करने पर वह आवंटन दूसरे आपूर्तिकर्ता को कर दिया जायेगा।

13. निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुई न्यूनतम दरों पर क्रय समिति द्वारा विचार करने के उपरान्त न्यूनतम दरें उपनिदेशक (प्रक्षेत्र),पशुपालन विभाग, उ0प्र0 महानगर लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जायेगी जिसकी सूचना सम्बन्धित फर्म को दे दी जायेगी।

14. क्रय आदेश जारी करते समय आपूर्ति पर शिड्यूल अंकित किया जायेगा जिसके अनुसार सम्बन्धित फर्म कच्चे मालों की आपूर्ति प्रक्षेत्र स्टोर पर करायेगी।

15. सफल निविदादाता फर्म को क्रय किये जाने वाले कच्चे मालों के अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत जमानत धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ0डी0आर0 बनवाकर ''**मुख्य तकनीकी अधिकारी राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी**'' के पक्ष में प्राधि करना होगा एवं रू0 220.00 के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तीन दिन के अन्दर एग्रीमेन्ट करना होगा। न्यूनतम स्वीकृत दर दाता द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध करने मे असफल रहने की दशा में आपूर्ति में अनिक्षुक मानते हुये धरोहर राशि जब्त करते हुये द्वितीय न्यूनतम दर दाता से न्यूनतम दरों पर अनुबन्ध हेतु विचार किया जा सकता है।

16. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें।

17. निविदादाता के स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म किसी राजकीय विभाग अथवा अन्य संस्था से काली सूची में नही डाली गयी है। जिन निविदादाताओं को उपरोक्त शर्ते मान्य हो वही निविदादाता अरर्नेस्ट मनी के साथ दरें प्रस्तुत करें, अन्यथा उसके अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार नही किया जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नही की जायेगी। सशर्त निविदा निरस्त भी की जा सकती है।

आपूर्ति

1. निविदा में प्राप्त दरें क्रय समिति की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने पर क्रय आदेश निविदा दरों की वैधता अवधि में प्रक्षेत्र पर आवश्यकतानुसार समय–समय पर आपूर्ति तिथि एवं स्थान अंकित करते हुये निर्गत किये जायेगे।
2. आपूर्ति हेतु न्यूनतम एक सप्ताह का समय दिया जायेगा।
3. निविदा में विज्ञापित मात्रा अनुमानित है तथा अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकतानुसार मांग को घटा–बढा सकते है।
4. क्रय अधिकारी को यह अधिकार होगा कि आपूर्ति समय से अथवा मानको के अनुसार न होने की दशा में जमा की गयी अरनेस्ट मनी जब्त कर ले तथा भविष्य के लिय फर्म को ब्लेक लिस्ट कर दिया जायें।
5. किसी भी क्रय आदेश की पार्ट आपूर्ति नही ली जायेगी तथा समस्त आइटम्स की आपूर्ति संतोषजनक ढ़ंग से पूर्ण होने पर ही माल प्राप्त की तिथि मानी जायेगी।
6. यदि किसी आपूर्ति कर्ता द्वारा दिये गये डिलिवरी शिड्ल के अनुसार कच्चे मालों की आपूर्ति नही की जाती है अथवा पूरी मात्रा की आपूर्ति नही की जाती है अथवा आपूर्ति किया गया कच्चा माल निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार नही पाया जाता है ऐसी दशा में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा आवश्यकतानुसार पशु–पक्षी आहारों

के उत्पादन जारी रखने हेतु सम्बन्धी कच्चे माल को रिक्त परचेज प्रणाली के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय न्यूनतम दरें (क्रय समिति की संस्तुति पर उपनिदेशक (प्रक्षेत्र), महोदय द्वारा अनुमोदित) अंकित करने वाली फर्मो से वरीयता क्रम में क्रय कर लिया जायेगा एवं इस प्रकार रिस्क परचेज के अनुसार अन्तर की धनराशि की कटौती पार्टी के जमानत की राशि एवं लम्बित भुगतान से कर ली जायेगी। यदि रिस्क परचेज के अन्तर की धनराशि भुगतान हेतु लम्बित बिलों तथा जमानत की राशि से अधिक आती है तो ऐसी दशा में इस प्रकार की राशि पार्टी से न्यायिक प्रक्रिया से वसूली जायेगी। निविदा में प्राप्त द्वितीय अथवा तृतीय न्यूनतम दर वाली फर्म के सहमत न होने की दशा में खुले बाजार से रिस्क परचेज की जायेगी। बाजार से रिस्क परचेज की दशा में अन्तर की धनराशि की फर्म से कटौती से साथ–साथ रिस्क परचेज में प्रक्षेत्र द्वारा भुगतान की गयी कुल धनराशि पर 45 दिन के लिय सामान्य बैंक दर के अनुसार ब्याज की धनराशि आपूर्ति न करने वाली फर्म से वसूली जायेगी तथा अविश्सनीय आपूर्तिकर्ता अथवा काली सूची में अंकित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

7. आपूर्ति शर्त सं0–6 के अनुसार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय आदेश निर्गत किये जाने से निर्धारित तिथि तक समस्त आदेशित कच्चे माल की आपूर्ति नही की जाती है तो ऐसी दशा में प्रक्षेत्र पर आवश्यकतानुसार पशु आहार का उत्पादन अनवरत जारी रखने हेतु सम्बन्धित कच्चे माल का रिस्क परचेज प्रणाली के अन्तर्गत क्रय कर लिया जायेगा एवं इस प्रकार के अन्तर की राशि की कटौती पार्टी की जमानत राशि अथवा लम्बित बिलों की राशि से कर ली जायेगी, परन्तु यदि रिस्क परचेज करने की आवश्यकता नही होती है तो ऐसी दशा में आपूर्ति हेतु दिये गये शिड्यूल की अंन्तिम तिथि के बाद अधिकतम 14 दिन का समय पार्टी को माल आपूर्ति हेतु उपलब्ध रहेगा तथा इस दौरान आपूर्ति किये गये माल पर 2 प्रतिशत सात दिन की दर से पेनाल्टी लगायी जायेगी जो कि प्रत्येक सात दिन के पहले दिन से ही लागू माना जायेगा। इस प्रकार प्रथम दिन से सातवे दिन तक के विलम्ब के लिय 2 प्रतिशत एवं आठवे दिन से चौदहवे दिन तक के लिय 4 प्रतिशत की दर से लेट सप्लाई पेनाल्टी की कटौती पार्टी से की जायेगी। यह लेट सप्लाई पेनाल्टी पार्टी द्वारा आपूर्ति हेतु आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत बढी हुयी सीमा के अन्दर आपूर्ति किये गये कच्चे माल की मात्रा पर भी लागू होगी। परन्तु जो मात्रा रिस्क परचेज प्रणाली के अन्तर्गत क्रय कर ली जायेगी उस पर लेट सप्लाई पेनाल्टी नही काटी जायेगी। यदि पार्टी के स्तर पर चौदहवे दिन से बढ़े हुये समय काल में भी माल की आपूर्ति नही की जाती है तो ऐसी दशा में क्रयादेश निरस्त माना जायेगा। तथा पार्टी के खाते से 5 प्रतिशत की दर से नान सप्लाई पेनाल्टी काटी जायेगी। यह पेनाल्टी आंशिक रूप से आपूर्ति किये गये कच्चे माल की मात्रा को छोडकर आपूर्ति हेतु अवशेष मात्रा में से कुल मात्रा की **10 प्रतिशत मात्रा घटाने के बाद बची हुयी मात्रा** पर ही लागू होगी।

8. किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण आपूर्ति अवधि में आपूर्ति सम्भव नही हो पाती है तो कारणों का उल्लेख करते हुये आपूर्तिकर्ता एक सप्ताह के अन्दर लिखित रूप से अवगत करायेगा। पर्याप्त कारण होने की दशा में क्रेता को यह अधिकार होगा कि आपूर्ति अवधि को अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबेलट बाराबंकी की संस्तुति पर कि इस बिलम्ब से उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडा है आपूर्ति अवधि को बढ़ायें जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

9. कच्चे माल के विभिन्न कन्साइनमेण्ट की आपूर्ति प्रक्षेत्र पर करते समय आपूर्तिकर्ता द्वारा माल डिलीवरी चालन तथा वीजक दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें पशु आहार प्रक्षेत्र द्वारा निर्गत किये गयें क्रय आदेश संख्या, आपूर्ति किये जा रहे कच्चे माल का विवरण व ट्रक

संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। बिल अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बारबकी को माल प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

10. अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को पूरा अधिकार होगा कि क्रय हेतु आवश्यक मात्रा के आदेश को प्रथम न्यूनतम दर दाता एवं द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्मो के मध्य द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्म से न्यूनतम स्वीकृत दरों पर आपूर्ति की सहमति लेकर बॉट दें। यह निर्णय प्रथत न्यूनतम दरदाता फर्म की पूर्व में आपूर्ति आदेश के निष्पादन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये कार्यहित में लिया जायेगा।

गुणवत्ता

1. विभिन्न कच्चे मालों की आपूर्ति प्राप्त करते समय प्रक्षेत्र पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कच्चे माल का नेत्र परीक्षण किया जायेगा और यदि कच्चा माल नेत्र परीक्षण के समय अधोमानक प्रतीत हुआ तो कच्चे माल को आपूर्तिकर्ताओं को अपने खर्च पर वापस लेना होगा।
2. कच्चा माल मिलावट रहित कीट एवं फफूँदी रहित होना चाहिए साथ ही इसमें किसी प्रकार के ढेले, खटास आपत्तिजनक बदबू नही होना चाहिए। कच्चे माल मे किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ धूल बाहरी तत्व जैसे लोहे के टुकडें आदि नही होने चाहिए। इस प्रकार के सभी कच्चे माल के कन्साइनमेण्ट जो स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही है पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रिजेक्ट करने का अधिकार अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को सुरक्षित रहेगा। निर्धारित गुणवत्ता का माल ही आपूर्तिकर्ता को देना होगा।
3. फार्म द्वारा आपूर्ति किये गये कच्चे माल का रासायनिक परीक्षण कराया जा सकता है और परीक्षण में यदि कच्च माल निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया जाता तो अवशेष बची हुयी मात्रा आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जायेगी जिसके लिये किसी भी प्रकार के हरजाने/मुआवजे के लिये विभाग/अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी से आपूर्तिकर्ता मांग नही करेगा कच्च माल आहारो के उत्पादन में उपयुक्त न पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता को अपने व्यय पर माल को वापस लेना होगा यदि 15 दिन के अन्दर आपूर्तिकर्ता द्वारा सम्बन्धित रिजेक्टेड माल वापस नही उठाया जाता है तो ऐसी दशा अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को यह अधिकार होगा कि वह कच्च माल को किसी इच्छुक पार्टियों से दरें लेकर अधिकतम दर पर विक्री कर दे। इस प्रकार रिजेक्टेड माल के निस्तारण किये जाने की दशा में पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य न होगा।

   कच्चे मालों के अतिरिक्त अन्य सामिग्रियों की गुणवता विवरण अनुसार आपूर्ति करनी होगी एवं मानक वित्तीय निविदा प्रपत्रों के साथ अंकित है।

भुगतान

1. भुगतान माल आपूर्ति के बाद सामान्यतः अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा 60 दिन की क्रेडिट सुविधा उपभोग के अपरान्त किया जायेगा।
2. समस्त कच्चे मालों के बिलों का भुगतान अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा किया जायेगा।

3. यदि किसी कच्चे माल पर निविदा की समय सीमा के भीतर शासन द्वारा किसी प्रकार का भी कर इत्यादि लगाया जाता है तो वह आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा और शासन द्वारा दी गयी कोई भी छूट आपूर्तिकर्ता के बिलों से काट ली जायेगी।

<u>अन्य शर्तें</u>

1. यदि आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी अथवा उनके नामित प्रतिनिधि द्वारा पंच निर्णय के माध्यम से निपटारा हेतु संदर्भित किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
2. उपरोक्त शर्तों में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता द्वारा उभय पक्षीय सहमति द्वारा आवश्यकतानुसार फेर बदल किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्ते मुझे/हमें मान्य है तथा इन शर्तो को ध्यान में रखकर ही निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

निविदादाता का हस्ताक्षर................................
नाम..
फर्म/कम्पनी की सील..................................
पूरा पता..

कच्चे मालों के मानक

क्र0 सं0	कच्चे माल का नाम	नमी	क्रुड प्रोटीन न्यूनतम	क्रुड वसा न्यूनतम	क्रुड फाइवर अधिकतम	सिलिका अधिकतम	नानफूडग्रेन बाहरी तत्त अधिकतम
1.	जौ / ज्वार / चना	----	-------	------	------	------	3
2.	मक्का (पीली / लाल)	10	-------	-----	------	------	3
3.	मूँगफली खली	10	42-0	7	10	3-0	
4.	डी0ओ0जी0एन0सी0	10	42-0	-----	10	3-0	
5.	सरसों खली	10	36-0	10	8	2-0	
6.	डी0 सरसों खली	10	37-0	-----	8	2-0	
7.	राइस पालिश	10	11-0	15	5	1-5	
8.	राइस ब्रान	10	13-0	15	10	5-0	
9.	डी0आर0पी0	10	15-0	-----	12	6-0	
10.	गेहूँ चोकर	12-5	14-5	3-00	11	1-0	2-0
11.	फिशमील	10	40-0	8-0	------	7-0	5-0 ued
12.	मीटमील	10	40-0	5-5	6-0	5-0	
13.	डी0 सोयाबीन खली	10	46-0	-----	5-0	1-0	
14.	डी0 सूरजमुखी खली	10	30-0	-----	22-0	2-5	
15.	मिनरल मिक्चर	प्रति कि0ग्रा0 में उपलब्ध न्यूनतम मात्रा विटामिन A–700000 IU, विटामिन D3 70000 IU, विटामिन E 250 mg, निकोटिनामाइड 1000 mg, कापर 1200 mg, कोबाल्ट 150 mg, मैगनिशियम 6000 mg, आयरन 1500 mg, जिंक 9600 mg, आयोडीन 325 mg, सेलेनियम 10 mg, मैंगनीज 1500 mg, कैल्शियम 25.5%, फासफोरस 12.75 %, सल्फर 0.72 %, सोडियम 5.9 mg, पोटैशियम 100 mg.						

उपरोक्तानुसार विभिन्न कच्चे मालों के मानकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है। कच्चे मालों की दरे उपरोक्त मानकों के अनुसार ही निविदा में प्रस्तावित की गयी है तथा आपूर्ति भी निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप ही करेंगें।

हस्ताक्षर...

निविदादाता का नाम व पता......................................

फर्म की मुहर..